

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती चंचल वर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 50/2016 प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

भगवती लाल पिता केसर लाल ब्राह्मण (पारीक) जाति ब्राह्मण निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा

बनाम

1. श्री देबीसिंह पिता बड़दसिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा
2. श्री बालु पिता छोगा बलाई निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा
3. श्री लुणा पिता छोगा बलाई निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा
4. श्री सज्जनसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा
5. श्री शैतानसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा
6. श्री भवानसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा
7. श्री शंकर पिता देवा सुथार निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा
8. श्री रघुवीरसिंह पिता उदयसिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा
9. श्री भैरू लाल पिता हीरालाल डाड निवासी पीथास तहसील कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि.1956

आदेश

दिनांक 29.02.2016

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि.1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 29/01/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथास तहसील कोटड़ी की नवीन खाता संख्या 168 किता 08 रकबा 19.13 बीघा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें / संयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी किये गये। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लिये गये। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नहीं कराये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं प्रकरण में संबंधित भू0अ0निरीक्षक आकोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके ग्राम पीथास प0म0 बडला स्थित नवीन नवीन खाता संख्या 168 किता 08 रकबा 19.13 बीघा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी उभयपक्ष को सूचित किया जाकर बाद तिथि निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमीश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 1300/- रूपये जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार कोटड़ी विधिवत पत्थरगढ़ी के आदेश संबंधित भू0अ0नि0 को करेंगे।

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आवदेक की राशि जमा होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा